न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 60/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/154)

उनवानी प्रकरण :–

1–अनारदेई पुत्री आछेलाल पत्नी श्री भगरी जाति कुम्हार निवासी मौहल्ला पोखरा बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर

2–हीरो पुत्री आछेलाल पत्नी श्री गरीबा जाति कुम्हार निवासी मौहल्ला पोखरा बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर

.....**अपीलान्टस**

बनाम्

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

2–रामखिलाडी पुत्र स्व0 श्री आछेलाल जाति कुम्हार निवासी कुम्हारपाडा पुराना शहर धौलपुर

3–शंकर पुत्र आछेलाल जाति कुम्हार नि0शीतल कुंज वर्मा डेयरी के वगल से विचपुरी रोड बोदला आगरा उ0प्र0

4–हरीसिंह पुत्र आछेलाल जाति कुम्हार नि0महात्मानंद की बगीची पुराना शहर धौलपुर

5–भगवानसिंह पुत्र आछेलाल जाति कुम्हार नि0महात्मानंद की बगीची पुराना शहर धौलपुर

6–कम्पूरी पुत्र आछेलाल पत्नी ईश्वरीप्रसाद जाति कुम्हार हाल निवासी बेगम की कवर खिन्नी का बाग नई आवादी ताजगंज आगरा उ0प्र0

7–भूदेवी पुत्री आछेलाल पत्नी कालीचरन जाति कुम्हार हाल निवासी नवादा ताजगंज आगरा उ0प्र0

8–नगर पालिका मण्डल धौलपुर (परवर्तित नगर परिषद धौलपुर) जरिये आयुक्त नगर परिषद धौलपुर

————**रैस्पोडेन्टस**

अपील विरूद्व आदेश तारीखी 25.10.1985 तहसीलदार धौलपुर कमांक 3558/1985 बावत नामान्तकरण संख्या 126 दि0 17.12.1985 बॉके ग्राम फतिहावाद तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :–	श्री सन्तोष कुमार गुर्जर एडवोकेट
रेस्पो0सं01 की ओर से :–	पैरोकार सरकार
रेस्पो0 सं02 व 3की ओर से :–	श्री अमित उपाध्याय एडवोकेट
रेस्पो0सं04लगा07 की ओर से :–	श्री रिपूद्वमन सिंह एडवोकेट
रेस्पो0सं08 की ओर से :–	श्री अशोक सक्सैना एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 21.08.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 400 रकवा 01 वीधा 04 विस्वा किस्म वारानी दोयम वांके ग्राम फतिहावाद तहसील धौलपुर के गत खसरा नम्बर 353 मिन के अभिलिखित खातेदार काश्तकार विनोद शंकर पुत्र नत्थीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पुराना शहर धौलपुर थे। विनोद शंकर पुत्र नत्थीलाल ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 400 का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 12.01.1970 को अपीलान्ट एवं रैस्पो0सं0 2लगा07 के पिता आछेलाल पुत्र जौहरी जाति कुम्हार के पक्ष में निष्पादित किया गया था। आछेलाल का दिनांक 15.02.1976 को निधन हो चुका है। आछेलाल के निधनोपरान्त रैस्पो0सं0 2लगा05 ने रैस्पो0सं01 के साजकर जरिये आदेश तारीखी 25.10.1985 बावत नामान्तकरण संख्या 126 ग्राम फतिहावाद अपीलान्ट एवं रैस्पो0सं0 6 व 7 को छोडते हुये विक्रयपत्र एवं विरासत के आधार पर दिनांक 17.12.1985 को पारित करवा लिया जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट ने निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाधीन विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 400 रकवा 01 वीधा 04 विस्वा के गत खसरा नम्बर 353 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा ग्राम फतिहावाद को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 12.01.1970 आछेलाल पुत्र जौहरी सदभावी केता,स्वामी एंव आधिपत्यधारी कृषक थे तथा खातेदार काश्तकार थे तथा आछेलाल के निधनोपरान्त अपीलान्ट एवं रैस्पो0सं0 2लगा07 मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रथम श्रेणी के वारिस एवं उत्तराधिकारी थे तथा वहिस्सा बराबर–बराबर आछेलाल की विरासत प्राप्त करने के अधिकारी थे लेकिन अपीलान्ट की वैक पर रैस्पो0सं01 से साज कर रैस्पो0सं02लगा05 ने अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने में तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की सर्वथा अवहेलना की है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो सूचित किया गया और ना ही जबावदेही का सम्यक मौका दिया गया तथा एकपक्षीय रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व रैस्पो0 सं01 ने स्व0 आछेलाल के समस्त वारिसान की जांच नहीं की गई लिहाजा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश कानूनी प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है तथा काबिल खारिजी के है। रैस्पो0सं02लगा05 ने अर्सा करीब 20 दिवस पूर्व अपीलान्ट को अपीलाधीन विवादित आराजी से बेदखल करने की तथा रैस्पो0सं08 से आवासीय पटटा प्राप्त करने की तथा अपीलाधीन विवादित आराजी की किस्म वारानी दोयम से किस्म गैर मुमकिन आवादी दर्ज कराने की धमकी दी तथा अपीलान्ट ने रैस्पो0सं02 लगा05 की धमकी से व्यथित होकर जरिये अधिवक्ता अपीलाधीन विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करवाया तब अपीलान्ट को प्रथम बार अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान हुआ तथा ज्ञान से अविलम्ब अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर रहा है जिसके न्यायहित में ज्ञान से अन्दर अवधि शुमार की जावे। देरी की क्षमा हेतु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 126 ग्राम फतिहावाद

तहसील धौलपुर आदेश तारीखी 25.10.1985 पारित नामान्तकरण आदेश तारीखी 17.12.1985 निरस्त किये जाने तथा प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को गुणावगुण पर नामान्तकरण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। रैस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से श्री अमित उपाध्याय एडवोकेट, रैस्पो0 संख्या 4 लगा07 की ओर से श्री रिपूद्वमनसिंह एडवोकेट एवं रैस्पो0 सं08 की ओर से श्री अशोक सक्सैना एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 24.07.2023 को रैस्पो0 संख्या 2 व 3 एवं 04 लगा08 के अभिभाषक एवं रैस्पोडेन्टस में से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एकपक्षीय सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार काश्तकार विनोद शंकर पुत्र नत्थीलाल थे। विनोद शंकर पुत्र नत्थीलाल ने विवादित आराजी का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 12.01.1970 को अपीलान्ट एवं रैस्पो0सं0 2लगा07 के पिता आछेलाल पुत्र जौहरी के पक्ष में निष्पादित किया गया था। आछेलाल का दिनांक 15.02.1976 को निधन हो चुका है। आछेलाल के निधनोपरान्त रैस्पो0सं0 2लगा05 ने रैस्पो0सं01 के साजकर जरिये आदेश तारीखी 25.10.1985 बावत नामान्तकरण संख्या 126 अपीलान्ट एवं रैस्पो0सं0 6 व 7 को छोडते हुये विक्रयपत्र एवं विरासत के आधार पर दिनांक 17.12.1985 को पारित करवा लिया। आछेलाल के निधनोपरान्त अपीलान्ट एवं रैस्पो0सं0 2लगा07 मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रथम श्रेणी के वारिस एवं उत्तराधिकारी थे तथा वहिस्सा बराबर–बराबर आछेलाल की विरासत प्राप्त करने के अधिकारी थे। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो सूचित किया गया और ना ही जबावदेही का सम्यक मौका दिया गया तथा एकपक्षीय रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व रैस्पो0 सं01 ने स्व0 आछेलाल के समस्त वारिसान की जांच नहीं की गई लिहाजा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अबैध व शून्य आदेश को निरस्त करने के लिये कोई सीमा नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनो के समर्थन में RRT 2002 Page 723, RRT 2012 Page 850, RRT 2011 Page 432 , RRT 2009 Page 988 RRT 2018 Page 186 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जावे तथा प्रकरण तहसीलदार को गुणावगुण पर नामान्तकरण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। दिनांक 17.12.1985 के

नामान्तकरण की अपील 02.01.2019 को अर्थात लगभग 33 वर्ष पश्चात की गई है। अपील प्रस्तुतीकरण में बिलम्ब शमन हेतु कोई भी संतोषजनक कारण अंकित नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 126 मियाद बाहर है। चूंकि अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अतः अपील को गुणावगुण पर तय करना उचित नहीं है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर